

Court of A.D.J.-VII, Danapur

T.A.- 102/2015

Reg – 300/2015

15.10.2019

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गयी।

अपीलान्ट की ओर से दिनांक 15.04.2019 के दाखिल आवेदन-पत्र **U/O- XXII Rule 4** पर उभयपक्षों को सुना।

अपीलान्ट का कथन है कि उत्तरवादी संख्या-4 अजनसीया देवी की बिमारी से दिनांक 30.03.2018 को मृत्यु हो गयी है उनके वारिस पूर्व से ही वाद में पक्षकार है। अर्जी से नाम विलोपित किया जाय।

उत्तरवादी का अवलोकन किया। आवेदन-पत्र शपथ-पत्र युक्त हैं। अत- अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.04. 2019 के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय उत्तर वादी संख्या-4 अजनसीया देवी का नाम 15 दिन के अंदर अर्जी से विलेपित करें।

वाद दिनांक 25.11.2019 वास्ते **L.C.R.** की प्रतीक्षा में।

लेखापित

अ.सत्र न्या.-VII